में जारी हुए

20/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...15/4/24... को पेश हो।
15/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...27/5/24... को पेश हो।
27/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...12/8/24... को पेश हो।
12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...6/9/24... को पेश हो।
6/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। पत्रावली वास्ते बहस दि. 22/11/24 को पेश हो।
22/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि 09.12.24 को पेश हो।
9/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/01/25 को पेश हो।
9/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act ... पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

धारा - 212 RT Act के प्रार्थना पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :-

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- प्रार्थी० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रा० पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भूरखेडी तह० पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख० न० 217 रकबा 0.0759 he. की आराजी प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी है जिसकी पश्चिमी मेड के सहारे प्रार्थीगण ने अपने कुवे ख०न० 216 पर जाने आने के लिए करीब 10 फीट चौडा कच्चा रास्ता बना रखा है जिसका प्रार्थीगण के साथ सभी गाँववाले भी करते आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण/कार्य करने पर आमदा है और लडाई झगडा कर रास्ते की कृषि आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकी दे रहे है अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा सतुंलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अप्रा० अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि ख० न० 217 की पश्चिमी मेड पर होकर 10 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसे आमजन द्वारा उपयोग - उपभोग किया जा रहा है। अत: रास्ता, एक आम रास्ता है, ना कि प्रार्थीगण का रास्ता है। वादग्रस्त रास्ता, ख० न० 217 मे होकर नहीं बल्कि आबादी भूमि ख० न० 218 की पूर्वी दिशा मे होकर बना हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश photograph [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा आधिपत्य हिस्से मे [illegible] है कि यह विवादित रास्ता सा [illegible] ही [illegible] बना गया है, छोडा रास्ता [illegible] होना शेष है। यह जा रहा है जिस पर [illegible] आमजन द्वारा उपयोग किया इन्टर लॉकिंग सडक ग्राम पंचायत नौलाई द्वारा बनाई जा रही है जिसे प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की भूमि मे बताकर सडक निर्माण रोक दिया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	आम रास्ते को रोक कर अवरोध उत्पन्न करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम हूरूपा अप्रार्थीगण के पक्ष में है।	
	बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार ख0 न0 217 रकबा 0.0759 hect प्रार्थीगण के खाते दर्ज (कृषि भूमि) है जबकि ख0 न0 218 किस्म आबादी ग्राम पंचायत के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं भू-अभि0 निरीक्षक की न्यायालय जेएम पिडावा के आदेश की पालना तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 20/03/24 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त रास्ता, ख0न0 217 व ख0 न0 218 की सीमा के समीप या सीमा पर स्थित है। रास्ते के पूर्व दिशा में ख0न0 217 स्थित है जबकि पश्चिम दिशा में ख0 न0 218 है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश अप्रमाणित photographs No-6 dated 11/08/2023 से भी यही जाहिर होता है।	
	वादग्रस्त रास्ते की भूमि, ख0 न0 217 की है या ख0 न0 218 की है – यह दोनों खसरा नम्बरान के सीमाज्ञान के बाद ही अभिनिर्धारित किया जा सकता है। पत्रावली पर ऐसी कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20/03/2024 एवं अप्रमाणित फोटोग्राफ्स न0 6 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार वादग्रस्त रास्ता मौके पर चालू है और आमजन द्वारा उपयोग लिया जा रहा है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं वादग्रस्त रास्ते की भूमि की सक्षम प्राधिकारी की सीमाज्ञान (demarcation) रिपोर्ट के [illegible] हूरूपा प्रार्थीगण के पक्ष में साबित [illegible]	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2025.01.23 11:19:45 IST Reason: SelfAttested	
	(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थीगण, [illegible] प्रथम हूरूपा अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे हैं। उभयपक्ष बहस के दौरान इस तथ्य पर सहमत	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

रहे कि वादग्रस्त रास्ता, वर्षों से बना हुआ है और मौके पर आज भी चालू है, आमजन द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है। आम रास्ते के उपयोग पर तब तक स्थगन जारी करना न्यायोचित नहीं है, जब तक यह प्रार्थीगण के खाते की आराजी साबित नहीं हो जाये। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त रास्ता उनकी कृषि आराजी ख0 न0 217 का parts parcel साबित हो और ना ही अप्रार्थीगण द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश किया है जिससे यह रास्ता आबादी भूमि ख0 न0 218 का part & parcel साबित हो। अतः वादग्रस्त रास्ते के उपयोग व उपभोग पर स्थगन जारी करने से प्रार्थीगण या अप्रार्थीगण की तुलना में आमजन को अधिक असुविधा (inconvenience) होगी। अतः प्रचलित रास्ते के उपयोग व उपभोग के हद तक तो सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

जहां तक रास्ते पर सीसी सड़क या इन्टरलॉकिंग सड़क या अन्य प्रकार के निर्माण का प्रश्न है, तो जब तक मूलवाद में इसके स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक इस पर पक्का construction करना उचित नहीं है। यदि मूलवाद में वादग्रस्त, प्रार्थीगण के खाते व अधिकार में साबित होता है और इस दौरान इस पर पक्की सड़क या अन्य पक्का निर्माण किया जाता है तो वाद बहुलता (multiplicity of litigations) बढ़ेगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में सुविधा का संतुलन रास्ते के उपयोग-उपभोग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:19:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म की तालीम में जारी हुए
हद तक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है, लेकिन वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर पक्की सड़क या अन्य पक्का निर्माण करने के हद तक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।	

(स) अपूरणीय क्षति :- वादग्रस्त रास्ते की भूमि का स्वामित्व निर्धारित नहीं होने तक, रास्ते के उपयोग व उपभोग से जो वर्षों से चला आ रहा है, प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं, केवल मूलवाद में प्रार्थीगण का रास्ते की भूमि पर स्वामित्व एवं हक साबित होने की शर्त (Condition) पर ही इसी बीच में पक्का निर्माण की स्थिति में ही अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम भूरखेडी के ख० न० 217 व 218 की सीमा पर (संभावित) स्थित वादग्रस्त प्रचलित रास्ते पर केवल कोई नया पक्का निर्माण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तार्फैसला मूलवाद पारित किया जाता है। वादग्रस्त रास्ते की भूमि के उपयोग - उपभोग (रास्ते के रूप में) पर कोई रोक नहीं होगा। अप्रार्थीगण आमजन के आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करे। ग्राम पंचायत, सम्बंधित तहसीलदार के नेतृत्व में संयुक्त राजस्व टीम से सीमाज्ञान कर वादग्रस्त रास्ता आबादी भूमि ख० न० 218 के अन्दर पाये जाने की स्थिति में सड़क निर्माण कर सकती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner